भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल
Kendriya Bhawan, 5th Floor
सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024
Telefax: 2326696

सत्यमेव जयते

दिनांकः 09.01.2016

पत्र संख्याः 8बी / यूपी / 06 / 90 / 2016 / एफसी /460

सेवा में,
विशेष सचिव (वन)
उत्तर प्रदेश शासन
बापू भवन, लखनऊ।

विषयः– बिजनौर–नूरपुर–छजलौट मार्ग (एन.एच.–76) के किमी0 6.725 से 42.725 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 27.23 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर–वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1249 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक प्रस्ताव राज्य सरकार के पत्रांक पी–145 / 14–2–2016–800(141) / 2016 दिनांक 26.09.2016 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति हेतु इस कार्यालय में प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.10.2016 द्वारा चाही गयी पूरक सूचनाओं के साथ मूल प्रस्ताव वापस किया गया था।

पुनः राज्य सरकार के पत्र संख्या 2705 / 14–2–2016–800(141) / 2016 दिनांक 08.12.2016 द्वारा पूरक सूचनाओं के साथ संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। सूचनाओं तथा संशोधित प्रस्ताव के अवलोकन पश्चात् अनुमोदन हेतु प्रस्ताव क्षेत्रीय सशक्त समिति (Regional Empowered Committee) की दिनांक 05.01.2017 को आहूत बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रीय सशक्त समिति (Regional Empowered Committee) द्वारा इस शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि इस कार्यालय द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व संशोधित लागत लाभ विश्लेषण (cost benefit analysis) प्रस्तुत किया जाए। इस प्रस्ताव का अनुमोदन क्षेत्रीय सशक्त समिति (Regional Empowered Committee) द्वारा 27.2307 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन के लिए किया गया है। अतः शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की गणना सही क्षेत्रफल के आधार पर प्रस्तुत की जाए।

अतः मुझे आपसे यह अनुरोध करने का आदेश है कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु संशोधित लागत लाभ विश्लेषण (cost benefit analysis) यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नकः REC के निर्णय की प्रति,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बिजनौर, उत्तर प्रदेश।
5. श्री कमल मिश्रा, हिन्दी अनुवादक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ।
6. आदेश पत्रावली।

9/1/17

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केंद्रीय)